

[2024] 8 एससीआर 1061: 2024 आईएनएससी 595

मनीष सिसोदिया

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील सं.3295/2024)

09 अगस्त 2024

[न्या. श्री बी.आर. गवई* और न्या. श्री के.वी. विश्वनाथन]

विचारणीय मुद्दा

अपीलार्थी को लगभग 17 महीने तक जेल में रखा गया लेकिन विचारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जमानत अस्वीकृत। क्या विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने शीघ्र विचारण तथा लंबी अवधि तक कारावास के अधिकार के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर सही ढंग से विचार किया। अपीलार्थी के दावे को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत परिकल्पित ट्रिपल टेस्ट को लागू करते हुए खारिज कर दिया गया था। क्या विलंबित मामलों में जमानत के अधिकार एवं लंबी अवधि तक कारावास को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 तथा पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत पढ़ा जाना चाहिए। क्या अपीलार्थी को शीघ्र विचारण के अधिकार से वंचित किया गया था और क्या वह जमानत पाने का हकदार है।

शीर्ष टिप्पण

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 45 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 439 - दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं- सीबीआई एवं ईडी द्वारा

मामले, अपीलार्थी गिरफ्तार - पहले दो दौर की मुकदमेबाजी हो चुकी है, अब तीसरा दौर चल रहा है - लंबे समय तक कारावास- विचारण में देरी, जमानत अस्वीकृत - जमानत का अधिकार - त्वरित विचारण का अधिकार - यदि विलंब के साथ-साथ लंबी अवधि तक कारावास के मामलों में जमानत के अधिकार को दं.प्र.सं., 1973 की धारा 439 और पीएमएलए की धारा 45 में पढ़ा जाए:

अभिनिर्धारित: हां - आरोपों की प्रकृति के आधार पर, विलंबित मामलों में जमानत के अधिकार तथा लंबी अवधि तक कारावास को दं.प्र.सं. की धारा 439 और पीएमएलए की धारा 45 में शामिल किया जाना चाहिए- यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है तथा वह दोषी नहीं पाया गया, कि उसे शीघ्र विचारण सुनिश्चित किया जाए- जब विचारण अभियुक्त के अलावा अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा हो तो न्यायालय, जब तक कि उचित कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करेगा- पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान अपीलार्थी की जमानत के आवेदन पर विचार करने में आड़े नहीं आएंगे- लगभग 17 महीने की लम्बी अवधि तक कारावास में रहने एवं विचारण शुरू न होने के कारण अपीलार्थी को शीघ्र विचारण के अधिकार से वंचित कर दिया गया- तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय के पहले आदेश के मद्देनजर, अपीलार्थी अपने अनुरोध को नवीनीकृत करने का हकदार था - ईडी एवं सीबीआई मामले में 493 गवाहों के नाम थे - इस मामले में हजारों पन्नों के दस्तावेज तथा एक लाख से अधिक पन्नों के डिजिटाइज्ड दस्तावेज शामिल हैं - निकट भविष्य में विचारण पूरा होने की दूर-दूर तक संभावना नहीं है- यदि अपीलार्थी को विचारण के शीघ्र पूरा होने की आशा में असीमित समय तक सलाखों के पीछे रखा जाता है, तो वह अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएगा- उच्च न्यायालय के आक्षेपित

निर्णय को अभिखंडित तथा अपास्त कर दिया गया- अपीलार्थी को ईडी एवं सीबीआई दोनों मामलों में शर्तों के आधार पर जमानत दे दी गई। [अनुच्छेद 37-39, 43, 49, 54, 58]

आपराधिक विधि - निष्पक्ष विचारण का अधिकार - अभियुक्त को दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार, जिसमें "अविश्वसनीय दस्तावेज" भी शामिल हैं:

अभिनिर्धारित: अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का अधिकार है, उसे "अविश्वसनीय दस्तावेजों" सहित दस्तावेजों के निरीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। [पैरा 47]

जमानत - नियम के तौर पर दी जाने वाली सजा, अपवाद है- न्यायालयों द्वारा गैर-अनुपालन, निंदनीय:

अभिनिर्धारित: सज़ा के तौर पर ज़मानत नहीं रोकी जानी चाहिए- विचारण न्यायलय एवं उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले में सुरक्षित रवैया अपनाते हैं तथा यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और इनकार करना अपवाद है, कभी-कभी उल्लंघन में अपनाया जाता है- अब समय आ गया है कि विचारण न्यायलय और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"। [पैरा 53]

विशेष अनुमति याचिका (वि.अनु.या.) - एसएलपी के दूसरे सेट की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति - दिल्ली की आबकारी नीति के मामले, निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं - सीबीआई और ईडी द्वारा मामले, अपीलार्थी गिरफ्तार - इससे पहले इस न्यायालय के समक्ष दो दौर की मुकदमेबाजी हो चुकी है, वर्तमान में तीसरा दौर चल रहा है- मुकदमेबाजी के पहले के दौर में, परिस्थितियाँ में परिवर्तन होने या मुकदमा लंबा चलने की स्थिति में अपीलार्थी को

जमानत के लिए नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी- इस न्यायालय के दूसरे आदेश के कारण वर्तमान अपीलों की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए वि.अनु.या. का दूसरा सेट दायर नहीं किया जा सकता है, जब उसी आदेश से उत्पन्न पहले की वि.अनु.या. का निपटान कर दिया गया था:

अभिनिर्धारित: अस्वीकृत - यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा लंबे समय तक कैद में रहने के बारे में चिंतित था - अभियोजन पक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अगले 6-8 महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर विचारण समाप्त कर दिया जाएगा, हालांकि, 6-8 महीने की अवधि के भीतर विचारण समाप्त होना तो दूर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है- अपीलार्थी को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई- जब वे पहले ही अपना निर्णय ले चुके हैं तो अपीलार्थी को दोबारा विचारण न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करना एक खोखली औपचारिकता होगी- शीघ्र विचारण का अधिकार अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में एक मौलिक अधिकार है- इस न्यायालय द्वारा अपने दूसरे आदेश के तहत अपीलार्थी के अनुरोध को पुनर्जीवित करने के लिए सुरक्षित रखी गई स्वतंत्रता, अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद उसकी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता थी - निस्संदेह, वर्तमान अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र दायर किये जाने के बाद दायर की गई थी। [पैरा 29, 32, 43]

उद्धृत निर्णयज विधि

कुन्हायम्मद और अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य [2000] परक 1 एससीआर 538: (2000) 6 एससीसी 359; पी. पोन्नसामी बनाम तमिलनाडु राज्य [2022] 15 एससीआर 265: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 543; विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य भारत संघ और अन्य [2022] 6 एससीआर 382: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929; प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [2024] 6 एससीआर 666: (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 934; रामकृपाल मीणा बनाम प्रवर्तन निदेशालय (वि.अनु.या (आप.) सं. 3205/2024 दिनांक 30.07.2024); जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 1693; गुडीकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय [1978] 2 एससीआर 371: (1978) 1 एससीसी 240; श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य [1980] 3 एससीआर 383 : (1980) 2 एससीसी 565; हुसैनारा खातून एवं अन्य (झ) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य [1979] 3 एससीआर 169: (1980) 1 एससीसी 81; भारत संघ बनाम के.ए. नजीब [2021] 1 एससीआर 443: (2021) 3 एससीसी 713; सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य [2022] 10 एससीआर 351: (2022) 10 एससीसी 51 - संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड संहिता, 1860

मूलशब्दों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत ट्रिपल टेस्ट; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439; भारत के संविधान का अनुच्छेद 21; दिल्ली की आबकारी नीति मामले; लंबी अवधि के लिए कैद; कैद की लंबी अवधि; विलंबित विचारण; विचारण में देरी; त्वरित विचारण का अधिकार; जमानत नियम, जेल अपवाद; निष्पक्ष विचारण का अधिकार; जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार; विशेष अनुमति याचिकाओं (अवि.अनु.या.) का दूसरा सेट; प्रारंभिक आपत्ति; दस्तावेजों का निरीक्षण; अविश्वसनीय दस्तावेज।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता: आपराधिक अपील सं.2024/3295

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के ज.आ.सं. 1557/2024 के दिनांक 21.05.2024 के निर्णय एवं आदेश से

के साथ

आपराधिक अपील सं. 3296/2024

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक जैन, मो. इरशाद, अमित भंडारी, करण शर्मा, रजत जैन, सादिक नूर, मोहित सिवाच, शैलेश चौहान, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

सूर्यप्रकाश वी. राजू, अपर.महा.सा., मुकेश कुमार मरोरिया, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, विवेक गौरव, हितार्थ राजा, सुश्री अभिप्रिया, सुश्री श्वेता

देसाई, विवेक गुरनानी, सुश्री आकृति मिश्रा, अरविंद कुमार शर्मा, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. श्री बी.आर. गवई

1. अनुमति दी गई। गुण-दोष के आधार पर अपीलों की सुनवाई हुई।
2. वर्तमान अपीलों में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन सं. 1557 एवं 1559/2024 पर पारित दिनांक 21 मई 2024 के निर्णय तथा आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वर्तमान अपीलार्थी द्वारा जमानत प्रदान करने के लिए दायर उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त दो आवेदन प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में, 'ईडी') द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज ईडी मामला सं. एचआईयू-II/14/2022 एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में, 'सीबीआई') द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) सं. आरसी0032022ए0053/2022 के संबंध में जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे।
3. सीबीआई द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी सं. आरसी0032022A0053/2022 दर्ज की गई, और ईडी द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 को ईडी मामला सं. एचआईयू-II/14/2022 दर्ज की गई।
4. चूंकि दोनों मामले समान तथ्यों से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से बाद वाला मामला पूर्ववर्ती अपराध है एवं पहला पूर्ववर्ती अपराध के आधार पर पंजीकृत मामला है, इसलिए इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी तथा निर्णय दिया जाएगा।

संक्षेप में तथ्य:

5. वर्तमान मामला दो चरणों में विचारण न्यायालय , उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय में हुआ। यह इस न्यायालय के समक्ष तीसरा दौर है जिसमें अपीलार्थी उपरोक्त दो मामलों के संबंध में जमानत मांग रहा है।
6. दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2022 को लिखे गए पत्र के आधार पर, जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था उसमें गृह मंत्रालय के निदेशक ने 22 जुलाई 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उक्त मामले की जांच का निर्देश दिया था। दिनांक 26 फरवरी 2023 को अपीलार्थी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
7. जांच के बाद, सीबीआई ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.') की धारा 420, 201 तथा 120ख के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'पीसी अधिनियम') की धारा 7, 7क, 8 एवं 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। जांच पूरी होने पर, ईडी ने दिनांक 4 मई 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'पीएमएलए') की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की।
8. सीबीआई मामले में अपीलार्थी की नियमित जमानत के लिए पहली अर्जी दिनांक 30 मई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद, ईडी मामले में अपीलार्थी की नियमित जमानत के लिए पहली अर्जी दिनांक 3 जुलाई 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के सामान्य आदेश (जिसे आगे "इस न्यायालय का पहला आदेश" कहा जाएगा) के तहत सीबीआई मामले एवं ईडी मामले में अपीलार्थी की नियमित जमानत याचिकाओं को कुछ टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया, जिनका उल्लेख हम बाद के पैराग्राफों में करेंगे।

9. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर, अपीलार्थी ने दिनांक 27 जनवरी 2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की। उक्त कार्यवाही में, अपीलार्थी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। हालाँकि, दिनांक 30 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने उक्त जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
10. इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 2 मई 2024 को उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की। दिनांक 21 मई 2024 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के तहत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया।
11. मामले की सुनवाई दिनांक 4 जून 2024 को हुई थी। इस न्यायालय ने उक्त आदेश में (जिसे इसके बाद "इस न्यायालय का दूसरा आदेश" कहा जाएगा) विद्वान महा-सॉलिसिटर की दलीलें दर्ज कीं कि जांच पूरी कर ली जाएगी एवं अंतिम शिकायत/आरोप पत्र शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर कर दिया जाएगा तथा उसके तुरंत बाद, विचारण न्यायालय विचारण को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस न्यायालय ने विद्वान महा-सॉलिसिटर द्वारा की गई दलीलों को दर्ज किया एवं पाया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित "6-8 महीने" की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए अंतिम शिकायत/शपथ पत्र दाखिल करने के बाद उनकी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका का निपटान किया जाता है।
13. तदनुसार, अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस न्यायालय ने दिनांक 16 जुलाई 2024 के आदेश के तहत नोटिस जारी

किया था। इसके जवाब में, ईडी एवं सीबीआई की ओर से वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए जवाबी शपथपत्र दायर किया गया है।

प्रस्तुतियाँ:

14. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महा-सॉलिसिटर (अति.महा.सा.) श्री सूर्यप्रकाश वी. राजू को विस्तार से सुना है।
15. विद्वान अपर.महा.सा.की ओर से प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के दिनांक 21 मई 2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए वि.अनु.या. का दूसरा सेट दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब उसी आदेश से उत्पन्न पहले की वि.अनु.या. का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने दलील दी कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4 जून 2024 के आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता को नए सिरे से विचारण न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में जाने के बाद यदि उसे विचारण न्यायालय में सफलता नहीं मिलती है, तो उसके बाद वह उच्च न्यायालय में जाता है और यदि उसे उच्च न्यायालय में भी सफलता नहीं मिलती है, तो ही वह इस न्यायालय में जाने का हकदार होगा। इसलिए उन्होंने दलील दी कि वर्तमान अपीलें खारिज किए जाने लायक हैं, जिससे अपीलार्थी को नए सिरे से विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अपने तर्क के समर्थन में श्री राजू ने कुन्हयाम्मेड एवं अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।
16. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से अपने पहले आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के माध्यम से

अपीलार्थी को जमानत के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी इस शर्त पर कि यदि विचारण अगले 6-8 महीनों के भीतर समाप्त नहीं होता है एवं यदि विचारण लंबा चलता है और अगले तीन महीनों में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। उन्होंने दलील दी कि, निस्संदेह, इस न्यायालय के प्रथम आदेश की तिथि से 6-8 महीने की अवधि के भीतर विचारण पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि रिकार्ड से पता चलता है कि इस न्यायालय के प्रथम आदेश के पारित होने के बाद तीन महीने की अवधि में विचारण काफी लम्बा चला तथा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। उन्होंने दलील दी कि इस न्यायालय के दूसरे आदेश में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पास अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद नए सिरे से अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा कि विद्वान महा-सॉलिसिटर ने आश्वासन दिया है। इसलिए डॉ. सिंघवी प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

17. गुण-दोष के आधार पर, डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के अपने पहले आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में विभिन्न निष्कर्ष दिए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कई स्थानों पर इस न्यायालय ने ऐसे निष्कर्ष दिए हैं जो दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थीगण प्रथम दृष्टया मामला बनाने की स्थिति में नहीं हैं। डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि मामले की जांच भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक विचारण आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ईडी मामले में दिनांक 10 मई 2024, दिनांक 17 मई 2024 एवं 20 जून 2024 को तीन और पूरक शिकायतें दर्ज की गई हैं तथा 27 जुलाई 2024 तक 40 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें 8 से अधिक शिकायतों के साथ कार्यवाही में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी मामले में ईडी ने 224 गवाहों को उद्धृत किया है और

32,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई मामले में सीबीआई ने 269 गवाहों को उद्धृत किया है और लगभग 37,000 पृष्ठों के दस्तावेज पेश किए हैं। इसलिए यह दलील दी गई है कि सीबीआई द्वारा दायर चौथे अनुपूरक आरोप-पत्र में शामिल गवाहों को छोड़कर कुल 493 गवाह हैं, जिनसे पूछताछ की जानी है और कुल मिलाकर दस्तावेज लगभग 69,000 पृष्ठों के हैं।

18. डॉ. सिंघवी ने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों को जानबूझकर छुपाया है एवं आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करने वाले दस्तावेजों को “अविश्वसनीय दस्तावेजों” की श्रेणी में डाल दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इस प्रकार, अपीलार्थी के लिए ऐसे “अविश्वसनीय दस्तावेजों” का निरीक्षण करना आवश्यक था। उन्होंने आगे कहा कि ईडी एवं सीबीआई की ओर से “अविश्वसनीय दस्तावेजों” की सूची तैयार करने में अत्यधिक देरी हुई।
19. डॉ. सिंघवी ने दलील दी कि गवाहों एवं दस्तावेजों की भारी संख्या को देखते हुए, इस विचारण के शुरू होने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।
20. श्री राजू ने वर्तमान अपीलों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस न्यायालय ने अपने पहले आदेश में पैराग्राफ 25 में मामले के गुण-दोष पर विभिन्न कारकों को गिनाने के बाद माना था कि न्यायालय जमानत देने की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी की अपील को गुण-दोष के आधार पर विशेष रूप से खारिज कर दिया गया।
21. श्री राजू ने आगे प्रस्तुत किया कि, हालांकि न्यायालय ने अनुच्छेद 29 में उल्लिखित परिस्थितियों में नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त प्रथम आदेश सहित पहले के जमानत आवेदनों की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय

द्वारा गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी मामले के गुण-दोष पर विचार करना आवश्यक था। हालाँकि, वर्तमान अपीलार्थी ने गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर विचार करने का विरोध किया और केवल विचारण में देरी के आधार पर आवेदन पर विचार करने पर जोर दिया। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों न्यायालयों ने मामले के गुण-दोष पर सही ढंग से विचार किया है और गुण-दोष पर विचार करने के बाद पाया कि अपीलार्थी जमानत दिए जाने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं होगा।

22. श्री राजू ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.')
- की धारा 207 के प्रावधानों का सहारा लेकर आरोप-पूर्व कार्यवाही में देरी की है। उन्होंने कहा कि सौ से ज़्यादा आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें से कई धारा 207 दं.प्र.सं. के तहत हैं। ये आवेदन सिर्फ विचारण में देरी करने के उद्देश्य से दायर किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि पी. पोन्नुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर, ऐसे आवेदन आरोप तय होने के बाद ही दायर किए जा सकते थे, लेकिन इन्हें जानबूझकर विचारण के आरोप-पूर्व चरण में दायर किया गया है, ताकि आरोप तय होने में देरी हो। उन्होंने दलील दी कि हालांकि अपीलार्थी को आरोपमुक्ति के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है, लेकिन इसे केवल विचारण को लम्बा खींचने के लिए दायर नहीं किया गया है। उन्होंने दलील दी कि परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अपीलार्थी ही मुकदमे को लंबा खींच रहा है। यह दलील दी गई कि चूंकि अपीलार्थी स्वयं ही विचारण को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसे इसका लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

23. विद्वान अपर.महा.सा.ने दलील दी कि जब तक पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित तीन शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने स्वयं अपने प्रथम आदेश में पाया है कि अपीलार्थी गुण-दोष के आधार पर जमानत का हकदार नहीं है और इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित दूसरी शर्त कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती।
24. विद्वान अपर.महा.सा.ने आगे कहा कि अपीलार्थी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपराध के समय दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद पर था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है।
25. डॉ. सिंघवी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा धारा 207 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन दायर किए जाने के कारण विचारण में देरी हो रही है, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन दायर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करने वाले दस्तावेजों को रिकॉर्ड में नहीं रखा था एवं उन्हें “अविश्वसनीय दस्तावेजों” की श्रेणी में रखा था। उन्होंने दलील दी कि निष्पक्ष विचारण के अधिकार का लाभ उठाने के लिए तथा दं.प्र.सं. की धारा 207 में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के लिए अपीलार्थी को ऐसे आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इनमें से प्रत्येक आवेदन का पुरजोर विरोध किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं रिकार्ड में रखी जानी चाहिए थी, तथापि, अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात कारणों से, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थी ने ईडी मामले

में केवल 14 आवेदन और सीबीआई मामले में 13 आवेदन दायर किए हैं और इन सभी आवेदनों को विद्वान विचारण न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, यदि सभी “अविश्वसनीय दस्तावेजों” को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाना है, तो इसमें काफी समय लगेगा। अपने कथन के समर्थन में डॉ. सिंघवी ने ईडी के सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 7 मई 2024 को दाखिल अनुपालन पर भरोसा जताया, जो इस स्थिति को मजबूत करेगा।

प्रारंभिक आपति पर विचार:

26. हम सबसे पहले उच्च न्यायालय के दिनांक 21 मई 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली इस न्यायालय के समक्ष अपीलों के दूसरे सेट को दायर करने के संबंध में विद्वान अपर.महा.सा.की प्रारंभिक आपति से निपटेंगे, अर्थात्, रख-रखाव के तथ्य पर।
27. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने पहले दिनांक 21 मई 2024 के उसी आदेश को वि.अनु.या.(आपराधिक) सं. 7795 और 7799/2024 के माध्यम से चुनौती दी थी। ऐसा करने पर, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 4 जून 2024 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

"यद्यपि, विस्तृत तर्क दिए गए हैं, हम उक्त तर्कों पर जाने या इस पर विस्तार से विचार करने एवं फिर अपने कारणों को दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसका साधारण कारण यह है कि समन्वय पीठ ने दिनांक 30.10.2023 के आदेश के तहत अपीलों को खारिज करते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी, यानी याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए आश्वासन पर भरोसा करके जमानत के लिए नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है कि वे अगले 6-8 महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर विचारण को समाप्त कर देंगे एवं इस तरह

परिस्थितियों में बदलाव के मामले में या यदि विचारण लंबा चलता है तथा अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो याचिकाकर्ता को नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह भी देखा गया कि यदि उपरोक्त परिस्थितियों में ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो इस न्यायालय के निर्णय सहित पहले की जमानत याचिका की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

श्री तुषार मेहता, विद्वान महा-सॉलिसिटर ने निर्देश पर प्रस्तुत किया कि जांच समाप्त कर दी जाएगी एवं अंतिम शिकायत/आरोप पत्र शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में दिनांक 03.07.2024 को या उससे पहले दायर किया जाएगा और उसके तुरंत बाद, विचारण न्यायालय विचारण की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त प्रस्तुतियों के प्रकाश में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 के आदेश द्वारा निर्धारित “6-8 महीने” की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इन याचिकाओं का निपटान करना पर्याप्त होगा, साथ ही याचिकाकर्ता को अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जैसा कि विद्वान महा-सॉलिसिटर ने आश्वासन दिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आवेदन के दाखिल होने की स्थिति में, उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय ने पैराग्राफ 29 (पूर्वोक्त) में पहले ही उल्लेख किया है।

तदनुसार, इन याचिकाओं का निपटान किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया।

28. इस न्यायालय के दूसरे आदेश के आधार पर वर्तमान अपीलों की स्वीकार्यता के संबंध में विद्वान अपर.महा.सा. की दलीलों पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय द्वारा अपने पहले आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों का संदर्भ देना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:

"26. हालांकि, हम अपीलार्थी मनीष सिसोदिया द्वारा लंबे समय तक कारावास में रहने को लेकर भी चिंतित हैं। पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2020) 13 एससीसी 791 में, अपीलार्थी को लगभग 49 दिनों तक अभिरक्षा में रखने के बाद जमानत दे दी गई थी [पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2020) 13 एससीसी 337], श्री गुरबखश सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, तथा संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2012) 1 एससीसी 40 में संविधान न्यायपीठ पर निर्भरता रखते हुए, कि भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का हो, यह नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार कर दिया जाना चाहिए। अंततः, मामले दर मामले के आधार पर तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्त को विचारण के दौरान उपस्थित कराना है। न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी के भागने का खतरा है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने एवं गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। पुनः, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में, इस न्यायालय ने सुरिंदर सिंह अलियास शिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2005) 7 एससीसी 387 एवं कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 291 का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में एक मौलिक अधिकार है। विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने धन शोधन जैसे

आर्थिक अपराधों की हानि तथा समाज एवं नागरिकों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि गिरफ्तारी जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। इस न्यायालय ने पीएमएल अधिनियम की धारा 19 का संदर्भ दिया, जिसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है। [पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244 भी देखें] विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 436 क पीएमएल अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू हो सकती है क्योंकि यह शीघ्र विचारण के अधिकार को लागू करती है जो जीवन के अधिकार का एक पहलू है सिवाय किसी वैध आधार के, जैसे कि जहां अभियुक्त के कहने पर विचारण में देरी हो रही हो। हमारी राय में, धारा 436 क को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी अभियुक्त को पीएमएल अधिनियम के तहत तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह निर्दिष्ट अवधि तक कारावास न भुगत ले। इस न्यायालय ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 2 एससीसी 427 में यह अभिनिर्धारित किया कि एक ओर आपराधिक विधि का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए, न्यायालय को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि मानव युगों में स्वतंत्रता उतनी ही दृढ़ है, जितनी दृढ़ हो सकती है।

27. किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले अभिरक्षा में लेना या जेल में भेजना बिना विचारण के सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद विचारण लंबा खिंचता है तथा यह स्पष्ट है कि मामले का निर्णय निश्चित समय में नहीं होगा, तो जमानत की प्रार्थना स्वीकार्य हो सकती है।

अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया ने तर्क दिया है कि गवाहों की संख्या (सीबीआई द्वारा दायर अभियोजन में 294 और शिक्षा निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन में 162) तथा दस्तावेजों की संख्या क्रमशः 31,000 और 25,000 पृष्ठों को देखते हुए, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि सीबीआई ने कई आरोप पत्र दायर किए हैं, आरोप पर बहस शुरू नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जिस आदेश को अभियोजन पक्ष ने संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से बार में कहा गया कि धारा 482 के तहत उक्त याचिका वापस ले ली जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से बार में यह भी कहा गया कि अगले छह से आठ महीनों के भीतर विचारण समाप्त कर दिया जाएगा।

28. किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले अभिरक्षा में लेना या जेल में भेजना बिना विचारण के सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के आश्वासन के बावजूद विचारण लंबा खिंचता है, तथा यह स्पष्ट है कि मामले का निर्णय निश्चित समय में नहीं होगा, तो जमानत की प्रार्थना स्वीकार्य हो सकती है। यद्यपि अभियोजन आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस वर्ष या उससे अधिक कारावास जैसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराधों, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक हिंसा आदि से दण्डनीय मामलों के समान मानना उचित नहीं होगा। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें 100/1000 जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गई हो। आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। देरी के मामलों में जमानत का अधिकार, साथ ही आरोपों की प्रकृति के आधार पर लंबी अवधि

के लिए कारावास का अधिकार, संहिता की धारा 439 और पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि संवैधानिक आदेश उच्चतर विधि है तथा यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है लेकिन वह दोषी नहीं पाया गया है इसलिए उसे शीघ्र विचारण सुनिश्चित किया जाए। जब विचारण अभियुक्त के अलावा किसी अन्य कारण से आगे नहीं बढ़ रहा हो तो न्यायालय को, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह बात वहां अधिक सत्य होगी जहां विचारण में वर्षों लगेंगे।

29. अभियोजन पक्ष की ओर से बार में दिए गए इस आश्वासन के मददेनजर कि वे अगले छह से आठ महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर विचारण को समाप्त कर देंगे, हम अपीलार्थी मनीष सिसोदिया को परिस्थितियों में बदलाव होने की स्थिति में या यदि विचारण लंबा खिंचता है एवं अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं। यदि उपरोक्त परिस्थितियों में जमानत के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो वर्तमान निर्णय सहित पहले के जमानत आवेदन की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, ऊपर की गई टिप्पणियों, जैसे कि: त्वरित विचारण के अधिकार, को ध्यान में रखा जाएगा। अपीलार्थी मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की बीमारी के कारण खराब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आपातकाल के मामले में अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन दायर कर सकते हैं। ऐसे आवेदन की भी उसकी योग्यता के आधार पर जांच की जाएगी।”

29. उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा झेली गई लम्बी अवधि की कैद के बारे में चिंतित था। विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में एक मौलिक अधिकार है। विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले पर निर्भरता रखते हुए इस न्यायालय ने कहा कि धारा 436क दं.प्र.सं. को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी अभियुक्त को पीएमएलए के तहत तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह निर्दिष्ट अवधि तक कारावास न भुगत ले। इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए इस आश्वासन को दर्ज किया कि वे अगले 6-8 महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर विचारण को पूरा कर लेंगे। इस न्यायालय ने उक्त दलीलें दर्ज करने के बाद अपीलार्थी को परिस्थितियों में बदलाव होने या विचारण लंबा खिंचने एवं धीमी गति से आगे बढ़ने की स्थिति में अगले तीन महीनों में जमानत के लिए नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इस न्यायालय ने कहा कि यदि कोई आवेदन दायर किया गया था, तो उस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के निर्णय सहित पहले के जमानत आवेदनों की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। न्यायालय ने आगे कहा कि शीघ्र विचारण के अधिकार के संबंध में की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा।
30. चूंकि इस न्यायालय के पहले आदेश के तीन महीने बाद तक विचारण धीमी गति से आगे बढ़ा, इसलिए अपीलार्थी ने निचली न्यायालय में जमानत के लिए दूसरा आवेदन दायर किया। इसे दिनांक 30 अप्रैल 2024 को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त आवेदन पर निर्णय लेने में विचारण न्यायालय को लगभग तीन महीने का समय लग गया। जब अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब तक इस न्यायालय के प्रथम आदेश पारित होने की तिथि से छह

महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी थी। इसे भी दिनांक 21 मई 2024 को खारिज कर दिया गया।

31. जब अपीलार्थी ने दूसरे चरण में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया एवं जब दिनांक 4 जून 2024 को इस न्यायालय द्वारा दूसरा आदेश पारित किया गया, तो इस न्यायालय के पहले आदेश की तिथि से 7 महीने और 4 दिन की अवधि बीत चुकी थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने विद्वान महा-सॉलिसिटर के इस कथन को ध्यान में रखा कि जांच पूरी कर ली जाएगी एवं अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर कर दिया जाएगा और उसके बाद, विचारण न्यायालय विचारण को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय ने यह देखते हुए कि "इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि इस न्यायालय द्वारा अपने प्रथम आदेश में निर्धारित 6-8 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है", याचिकाओं का निपटान करते हुए अपीलार्थी को अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।
32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अपीलार्थी को आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी थी। अब, अपीलार्थी को पुनः विचारण न्यायालय एवं उसके बाद उच्च न्यायालय तथा उसके बाद इस न्यायालय में जाने के लिए बाध्य करना, हमारे विचार में उसे "सांप और सीढ़ी" का खेल खेलने पर मजबूर करना होगा। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं और हमारे विचार में अपीलार्थी को पुनः विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय में भेजना एक खोखली औपचारिकता होगी। किसी नागरिक के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामले में, जो कि संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे रक्षणीय अधिकारों में से एक है, किसी

नागरिक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

33. इस न्यायालय के दिनांक 4 जून 2024 के दूसरे आदेश को ध्यानपूर्वक पठान से पता चलता है कि इस न्यायालय ने दर्ज किया था कि वे इस न्यायालय के पहले आदेश में दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर ध्यानपूर्वक पठन या इस पर विस्तार से विचार करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। इसके बाद, इस न्यायालय ने विद्वान महा-सॉलिसिटर के इस आश्वासन पर गौर किया कि जांच पूरी कर ली जाएगी एवं अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र किसी भी स्थिति में दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर कर दिया जाएगा। इस न्यायालय ने अपने दूसरे आदेश में आगे कहा कि चूंकि उसके प्रथम आदेश में निर्धारित 6-8 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वह अपीलार्थी को अपनी प्रार्थना पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता देते हुए इस याचिका का निपटान करना चाहता है। यह न्याय की अवहेलना होगी कि सावधानीपूर्वक तैयार किए गए आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अपीलार्थी के प्रार्थना को पुनर्जीवित करने के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, तथा इसका अर्थ यह लगाया गया है कि उन्हें सीधा सीधे विचारण न्यायालय में भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बात हमारे मन-मस्तिष्क में रह रह कर उठती है कि यह प्रक्रिया के अधीन है न की न्याय की स्वामिनी है।

34. इस संबंध में, हम इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय का भी लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जिसके हम में से एक (न्या.श्री बी. आर. गवई) प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के मामले में सदस्य थे, जो इस प्रकार है:

"21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत सबसे रक्षणीय मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण

करने के किसी भी प्रयास को इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में अस्वीकार किया है। इस संबंध में, हम रॉय वी.डी. बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं: -

"7. किसी व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता इतनी रक्षणीय है कि विधि के अधिकार के बिना इसमें हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी सभ्य देशों में मान्यता दी गई है और लागू किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।"

35. हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा अपने दूसरे आदेश के तहत अपीलार्थी के अनुरोध को पुनर्जीवित करने के लिए सुरक्षित रखी गई स्वतंत्रता को अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद उसकी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना होगा। निस्संदेह, वर्तमान अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतिम शिकायत/आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद दायर की गई है। इस मामले को देखते हुए, हम प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और इसे अस्वीकार किया जाता है।

इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या अपीलार्थी जमानत का हकदार है:

36. प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करने के बाद, हम इस बात पर विचार करेंगे कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी जमानत देने का हकदार है या नहीं।

37. जहां तक विद्वान अपर.महा.सा. के इस तर्क का प्रश्न है कि चूंकि पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रदत्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं इसलिए

अपीलार्थी जमानत पाने का हकदार नहीं है, इस न्यायालय के प्रथम आदेश का संदर्भ देना उचित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने अपने प्रथम आदेश में पैरा 25 में, पैरा 24 में सीबीआई द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र में कही गई बातों को दोहराने के पश्चात यह टिप्पणी की थी कि उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर न्यायालय उस स्तर पर जमानत प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था। हालाँकि, उक्त आदेश के कुछ पैराग्राफ को अन्य पैराग्राफ से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। आदेश को संपूर्णता में पढ़ना होगा। उक्त आदेश के पैराग्राफ 28 में इस न्यायालय ने कहा कि आरोपों की प्रकृति के आधार पर विलंब के मामलों में जमानत के अधिकार के साथ-साथ लंबी अवधि के लिए कारावास को दं.प्र.सं. की धारा 439 और पीएमएलए की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक आदेश ही सर्वोच्च विधि है तथा यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन अगर वह दोषी नहीं पाया गया है तो कि उसे शीघ्र विचारण सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि जब विचारण अभियुक्त के अलावा अन्य कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा हो तो न्यायालय को जब तक कि उचित कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि यह बात तब सच होगी जब विचारण में वर्षों लग जाएँगे। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारगण के बीच मुकदमेबाजी के पहले दौर में विशेष रूप से यह टिप्पणी की है कि देरी के साथ-साथ लंबी अवधि तक कारावास की स्थिति में तथा आरोपों की प्रकृति के आधार पर जमानत के अधिकार को पीएमएलए की धारा 45 में शामिल किया जाएगा।

38. **रामकृपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय** के मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर रही थी जिसे पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मिलनी थी और जिससे 46,00,000 रुपये की राशि

पहले ही बरामद की जा चुकी थी। उक्त मामले में याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 406, 420, 120ख एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 4/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सं. 402/2021 के संबंध में दिनांक 26 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 21 जून 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"7. वर्तमान मामले में जमानत प्रदान करने की प्रार्थना पर विचार करते हुए, ईडी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायत मामला आरोप तय करने के चरण में है और 24 गवाहों की जांच प्रस्तावित है। इस प्रकार, कार्यवाही पूरी होने में कुछ समय लगेगा। याचिकाकर्ता पहले से ही एक साल से अधिक समय से अभिरक्षा में है। अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए एवं अल्प अवधि में विचारण के समापन की कोई संभावना नहीं होने के साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले से ही संबंधित अपराध में जमानत पर है तथा इस मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को सशर्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 45 की कठोरता में उचित रूप से छूट दी जा सकती है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।"

39. प्रथम आदेश के पैराग्राफ 28 में इस न्यायालय की विशिष्ट टिप्पणियों के आलोक में, हम विद्वान अपर.महा.सा. के इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान जमानत देने के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के रास्ते में आएंगे।

40. इस न्यायालय के प्रथम आदेश से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से बार में यह आश्वासन दिया गया था कि वे आगामी 6-8 माह के भीतर उचित कदम उठाकर विचारण को समाप्त कर देंगे। उक्त कथन के मद्देनजर, इस न्यायालय ने उस स्तर पर अपीलार्थी की जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया, तथापि, परिस्थितियों में परिवर्तन होने की स्थिति में या यदि विचारण लंबा खिंचता है एवं अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है तो अपीलार्थी को जमानत के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी। यद्यपि, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि अनुच्छेद 29 में उल्लिखित आधारों पर जमानत के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था तो वर्तमान निर्णय सहित पहले के जमानत आवेदनों की बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, तथापि, इसने स्पष्ट किया कि शीघ्र विचारण के अधिकार के संबंध में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी को अपनी पत्नी की बीमारी के कारण खराब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई।
41. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया है, लेकिन उसने अपीलार्थी को हर सप्ताह एक बार अभिरक्षा में अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने निवास पर जाने की अनुमति दी है।
42. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय को उम्मीद थी कि विचारण 6-8 महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगा। यदि 6-8 महीने की अवधि के भीतर विचारण पूरा नहीं होता तो नये सिरे से विचारण दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई। अगले

तीन महीनों में विचारण धीमी गति से आगे बढ़ने की स्थिति में भी छूट दी गई थी।

43. रिकार्ड में प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 6-8 महीने की अवधि में विचारण पूरा होना तो दूर, यह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। यद्यपि इस न्यायालय के प्रथम आदेश में, यदि उक्त आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विचारण धीमी गति से आगे बढ़ता है तो जमानत के लिए पुनः आवेदन करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी, तथापि विचारण की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय के प्रथम आदेश के मददेनजर अपीलार्थी अपना अनुरोध नवीनीकृत करने का हकदार था। जब अपीलार्थी ने अपना अनुरोध नवीनीकृत किया, तो विद्वान विशेष न्यायाधीश (विचारण न्यायालय) के साथ-साथ उच्च न्यायालय को प्रथम आदेश के पैराग्राफ 28 और 29 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकाश में उक्त आवेदनों पर विचार करना आवश्यक था। प्रथम आदेश के पैराग्राफ 29 में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की थी कि यद्यपि गुण-दोष के पहलू पर की गई टिप्पणियां बाध्यकारी नहीं थीं, तथापि शीघ्र विचारण के अधिकार की टिप्पणियों पर विचार किया जाना आवश्यक था।
44. उच्च न्यायालय के विद्वान विशेष न्यायाधीश एवं विद्वान एकल न्यायाधीश ने आवेदनों पर गुण-दोष के साथ-साथ देरी तथा शीघ्र विचारण के अधिकार से इनकार के आधार पर भी विचार किया है। हम मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए विद्वान विशेष न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं। इस न्यायालय द्वारा पहले आदेश में की गई टिप्पणियों के मददेनजर, वे इस पर विचार करने के हकदार थे। तथापि, यह प्रश्न उठता है कि क्या विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने शीघ्र विचारण तथा लम्बी अवधि तक कारावास के अधिकार के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों

पर सही ढंग से विचार किया है। निचली न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत ट्रिपल टेस्ट लागू करने वाले अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया है। हमारे विचार में, यह इस न्यायालय द्वारा प्रथम आदेश के पैराग्राफ 28 में की गई टिप्पणियों की अनदेखी है, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि देरी के मामलों में जमानत के अधिकार के साथ-साथ लंबी अवधि तक कारावास को दं.प्र.सं. की धारा 439 एवं पीएमएलए की धारा 45 में शामिल किया जाना चाहिए।

45. विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से एवं अलग-अलग आरोपियों के साथ मिलकर लगातार एक या दूसरी अर्जी दाखिल कर रहा है/मौखिक दलीलें दे रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि उनमें से कुछ विचारणीय नहीं थे। यह पाया गया कि यह स्पष्ट रूप से मामले में देरी करने के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास के रूप में किया गया था। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसने कार्यवाही में देरी में कोई योगदान नहीं दिया है या मामला धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। हालाँकि, इसके ठीक बाद के पैराग्राफ यानी पैराग्राफ 80 में, न्यायालय ने देखा कि किसी भी देरी से बचने के लिए एवं अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा “अविश्वसनीय दस्तावेजों” का निरीक्षण करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, इसने दिनांक 18 अप्रैल 2024 के आदेश के तहत अभियोजन पक्ष से पूछा था कि क्या संपूर्ण “अविश्वसनीय दस्तावेजों” को अभियुक्तों को डिजिटल रूप में प्रदान किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि ईडी ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि वह कार्यवाही में तेजी लाएगा। हालाँकि, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा गया। ईडी के सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 7 मई 2024 को दायर अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन से, जो पेपरबुक के पृष्ठ 757 पर पाई जा सकती है पता चलता है कि साइबर लैब ने सूचित किया है कि उक्त

अविश्वसनीय डिजिटल उपकरणों में निहित डेटा की एक प्रति (क्लोनिंग) तैयार करने में 70-80 दिन लगेंगे।

46. यह भी देखा जा सकता है कि, हालांकि ईडी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि "अविश्वसनीय दस्तावेजों" की आपूर्ति के लिए सैकड़ों आवेदन दायर किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड उक्त स्थिति को पुष्ट नहीं करता है। यद्यपि विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न आवेदन दायर किए गए हैं, लेकिन जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, उसने सीबीआई मामले में केवल 13 आवेदन एवं ईडी मामले में 14 आवेदन दायर किए हैं। इससे पता चलेगा कि कुछ आवेदन अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने, वकालतनामा दाखिल करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, चेक पर हस्ताक्षर करने आदि की अनुमति मांगने के लिए हैं। अधिकांश आवेदन धारा 207/208 दं.प्र.सं. के तहत गुम दस्तावेजों एवं सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति के लिए हैं। कुछ आवेदन "अविश्वसनीय दस्तावेजों" के निरीक्षण के लिए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सभी आवेदनों को विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कुछ आदेशों को उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी, जिसमें रोक लगा दिया गया था। हालांकि, जब पहला आदेश पारित किया गया था, तब अभियोजन पक्ष की ओर से इस न्यायालय के समक्ष बयान दिया गया था कि धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत दायर उक्त याचिकाएँ वापस ले ली जाएंगी। उक्त कथन इस न्यायालय के प्रथम आदेश के पैराग्राफ 27 में दर्ज है। हम यह कह सकते हैं कि, जब हमने विशेष रूप से विद्वान अपर.महा.सा. से किसी भी आदेश को इंगित करने के लिए कहा था जिसमें विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने अपीलार्थी के किसी भी आवेदन को अविचारणीय पाया था, तो एक भी आदेश इंगित नहीं किया जा सका।
47. इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ही विचारण में देरी के लिए जिम्मेदार है,

रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का समर्थन किया कि आरोपी व्यक्तियों ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे शीघ्रता से पूरा करने के बार-बार निर्देशों के बावजूद "अविश्वसनीय दस्तावेजों" के निरीक्षण के लिए दिनांक 19 अक्टूबर 2023 से दिनांक 19 जनवरी 2024 तक तीन महीने का समय लिया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सीबीआई एवं ईडी दोनों मामलों में करीब 69,000 पन्नों के दस्तावेज शामिल हैं। इसमें शामिल दस्तावेजों की विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए उचित समय लेने का हकदार नहीं है। निष्पक्ष विचारण के अधिकार का लाभ उठाने के लिए, अभियुक्त को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" सहित दस्तावेजों के निरीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

48. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय के दूसरे आदेश के अवलोकन से ही पता चलता है कि इस न्यायालय ने विद्वान महा सॉलिसिटर की दलीलें दर्ज की हैं, जो इस निर्देश पर की गई थीं कि जांच पूरी कर ली जाएगी तथा अंतिम शिकायत/आरोप पत्र शीघ्रता से एवं किसी भी स्थिति में दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर किया जाएगा। तदनुसार, ईडी द्वारा दिनांक 28 जून 2024 को 8वां आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण के अनुसार भी जांच दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले पूरी होनी थी। इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान अपर.महा.सा. द्वारा उठाया गया तर्क स्वयं विरोधाभासी है। अगर जांच दिनांक 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले पूरी होनी थी, तो सवाल यह है कि उससे पहले विचारण कैसे शुरू हो सकता था? अगर जांच इस न्यायालय के पहले आदेश की तारीख से 8 महीने की अवधि के बाद पूरी होनी थी, तो इस न्यायालय के पहले

आदेश की तारीख से 6-8 महीने की अवधि के भीतर विचारण के समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं था। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों ही इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं।

49. हम पाते हैं कि लगभग 17 महीने की लम्बी कारावास अवधि के कारण तथा विचारण भी शुरू न होने के कारण अपीलार्थी को शीघ्र विचारण के अधिकार से वंचित किया गया है।
50. जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, त्वरित विचारण का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार रक्षणीय अधिकार हैं। इन अधिकारों से इनकार करते समय, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी इस कारक को उचित महत्व देना चाहिए था।
51. हाल ही में, इस न्यायालय को जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें अभियुक्त पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाया गया था। इस न्यायालय ने गुडिकांति नरसिम्हलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, श्री गुरबखश सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, हुसैनारा खातून एवं अन्य (झा) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय से लेकर संपूर्ण विधि का सर्वेक्षण किया। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"19. यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या संरक्षित करने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का

अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना लागू होता है।”

52. न्यायालय ने गुडीकांति नरसिम्हलु (पूर्वोक्त) में की गई टिप्पणियों को भी उद्धृत किया, जो इस प्रकार हैं:

"10. उपर्युक्त संदर्भ में, हम विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को याद दिलाना चाहेंगे कि गुडिकंती नरसिम्हलु बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय ने (1978) 1 एससीसी 240 में इस न्यायालय द्वारा क्या टिप्पणी की थी। हम उद्धृत करते हैं:

"जो बातें अक्सर भुला दी जाती हैं और इसलिए उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, वह यह है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने या अपील के निपटान तक न्यायिक अभिरक्षा में रखना है। मु.न्या.लॉर्ड रसेल ने कहा [आर. बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैंने देखा कि इस मामले में कैदी को जमानत देने से मना कर दिया गया था। देश के मजिस्ट्रेट पर यह बात दृढ़तापूर्वक थोपी नहीं जा सकती कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि जमानत की आवश्यकताएं केवल विचारण में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हैं।”"

53. न्यायालय ने आगे कहा कि समय के साथ विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधि के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत रोकी नहीं जानी चाहिए। अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले में सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम और इनकार एक अपवाद है, कभी-कभी

उल्लंघन में अपनाया जाता है। सीधे-सादे एवं स्पष्ट मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण, इस न्यायालय में जमानत याचिकाओं की भारी संख्या आ गई है जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। अब समय आ गया है कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

54. वर्तमान मामले में, ईडी मामले के साथ-साथ सीबीआई मामले में भी 493 गवाहों के नाम दर्ज किए गए हैं। इस मामले में हजारों पन्नों के दस्तावेज एवं एक लाख से अधिक पन्नों के डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। हमारा मानना है कि विचारण को शीघ्र पूरा करने की आशा में अपीलार्थी को असीमित समय तक सलाखों के पीछे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा। जैसा कि बार-बार देखा गया है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना विचारण के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
55. जैसा कि इस न्यायालय ने गुडीकांति नरसिम्हलु (पूर्वोक्त) के मामले में कहा है, किसी व्यक्ति को विचारण या अपील के निपटान तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का उद्देश्य विचारण के दौरान कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
56. वर्तमान मामले में अपीलार्थी की समाज में गहरी पैठ है। उसके देश छोड़कर भागने और विचारण का सामना करने के लिए उपलब्ध न होने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी स्थिति में, राज्य की चिंता को दूर करने के लिए प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।
57. जहां तक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना के संबंध में विद्वान अपर.महा.सा. द्वारा दी गई आशंका का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि मामला काफी हद तक दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है, जिसे

अभियोजन पक्ष ने पहले ही जब्त कर लिया है। ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। जहां तक गवाहों को प्रभावित करने के संबंध में चिंता का प्रश्न है, उक्त चिंता का समाधान अपीलार्थी पर कड़ी शर्तें लगाकर किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

58. परिणामतः, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

- i) अपील की अनुमति है;
- ii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं. 1557 एवं 1559/2024 में पारित दिनांक 21 मई 2024 के आक्षेपित निर्णय तथा आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है;
- iii) अपीलार्थी को ईडी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज ईडी मामला सं.एचआईयू-II/14/2022 तथा सीबीआई द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सं. आरसी0032022ए0053/2022 के संबंध में 10,00,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है;
- iv) अपीलार्थी को अपना पासपोर्ट विशेष न्यायालय में जमा करना होगा।
- v) अपीलार्थी को प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा; तथा
- vi) अपीलार्थी गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

59. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

मामले का निर्णय: अपीलों के अनुमति दी जाती है।

¹हेडनोट्स तैयार किया गया: दिव्या पांडे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.